फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

श्री शैलेष जैन .... बनाम मेवासिंह व अन्य ....

किस्म मुकदमा 88,188,92 ए 80/2010......सन ....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30.10.2017	पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित। वादी/वकिल वादी के द्वारा आदेशिका दिनांक 26.9.2017, में प्रतिवादी संख्या 5 व 7 की तलबी होतु नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिए जाने पर पर प्रस्तुत नही किए गए है। इस हेतु कई अवसर प्रदान करने के बावजूद वादी/वकिल वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 व 7 की तलबी हेतु किसी प्रकार की रूची नही दिखाई गई । हमने पत्रावली का अवलोकन किया न्यायालय आदेश दिनांक 26.9.2017 से अवसर दिए जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे वादी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है । इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अत: वादी का वाद पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उपखण्ड अधिकारी अजमेर	